To Reduce the Crime

157. **SHRI VARUN CHAUDHRY, M.L.A.** : Will the Home Minister be pleased to state the steps taken by the Government to reduce the crime rate in the State in the light of latest National Crime Records Bureau (NCRB) report ?

HOME MINISTER, HARYANA

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement referred to in reply to un-starred Question No. 157

The latest National Crime Records Bureau Report is available for the year 2019. As per this report, during the year 2019, a total of 1,66,336 criminal cases(IPC plus Local & Special Laws) were registered in the State as compared to 1,91,229 number of cases registered during the year 2018.

A large number of concrete steps have been taken and are being taken by the Government to reduce the crime rate in the State against all sections of society. Special emphasis has been given to strengthening the security of women, children, elderly persons and weaker sections of the society. In addition, the emphasis is being given on effectively checking the spread of narcotics and illicit arms in the State.

General Crime –

1. Additional police force has been sanctioned for further reducing the crime rate.
2. Recruitment is being done on regular basis to fill up the vacancies.
3. Dial 112 project is being established throughout the State.
4. Increase in number of patrolling vehicles.
5. Introducing better communication network.
6. Round the clock PCR patrolling and Nakabandi duties.
7. Inter-state nakabandi at state borders.
8. Ensuring more visibility of force.
9. Night domination exercise is being done on monthly basis.
10. Ensure patrolling at crowded places, markets, banks etc.
11. Intense dusk and night patrolling on foot and by vehicles.
12. Special campaigns are being launched to unearth illicit arms, to arrest narcotics smugglers, most wanted criminals, proclaimed offenders, bail jumpers, parole jumpers, rewarded criminals etc.
13. Inter-district and Inter-state crime meetings at all levels and at regular intervals.
14. Close and effective monitoring by senior officers.
15. Imparting better training to police personnel in prevention of crime.

Crime against Women -

1. Women police stations have been established in all the districts of the State having full powers of a general police station. Most of the staff posted in these police stations is female staff. Every women police station has been provided with 02 light vehicles and 02 scooties for providing quick response to the women in distress.
2. A four digit women helpline number 1091 has been activated in all the districts of the State, specially trained women police officials are deputed to attend this helpline number. Middle and senior level police officers including the women police officers monitor the functioning of the helpline and ensure that prompt and appropriate action is taken on each and every complaint received on the helpline number.
3. Mahila PCR vehicles, exclusively staffed by women police officials, have been deployed in every district for prevention of crime against women and extending prompt help to women in distress. These PCRs carry out preventive patrolling at places which are prone to crime against women e.g. girl institutions, market places and places of worship.
4. Mahila Help Desks have been established at all sub-divisional Hqrs.
5. District-level Special Cell for Women and Children have been established in each Women Police Station. The Cell is headed by a lady officer deputed by the Women and Child Development Department. She is designated as the District Prohibition-cum-Protection Officer to function as Child Marriage Prohibition Officer under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 and as Protection Officer under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
6. Anti-eve teasing staff has been created in each district of the State for preventing incidents of eve-teasing especially mass transport vehicles.
7. Instructions have been issued to the field police units to take the following operational measures/steps to prevent crime against women:
   (i) To carry out vulnerability mapping. Girls' schools and colleges, weaker sections' habitats, slums etc. are the places that need to be aggressively patrolled. Self Help Groups be formed in such localities in collaboration with the NGOs active in the field of women empowerment.

(ii) To identify habitual sexual offenders and to take all preventive measures to contain them.

(iii) Single working women, children and domestic maids are high-risk groups. Awareness campaign be initiated to sensitize them to the threat and measures they and their stakeholders may take to reduce the risk.

(iv) Self-defense camps for willing girls be organized in educational institutions and Police Lines in collaboration with Sports Department.

(v) Effective day and night patrolling be ensured with emphasis on areas which are prone to crime against women.

(vi) Day and night nakabandi be organized at suitable points and effective checking is being conducted to apprehend the mischievous elements.

8. Women police officials are being deployed in civil clothes near places such as schools, colleges, cinemas, tuition/coaching centres, markets etc which are prone to such incidents in order to curb eve-teasing and to nab the culprits.

9. Gender sensitization of the police personnel is being done at a massive scale in Haryana Police Academy and all the Recruit Training Centres of the State. At the same time, short courses/seminars/workshops are also being conducted to sensitize the police personnel at Range and district levels.

10. Police officials of all ranks are being sensitized towards prevention and detection of crime against women. Police men at the cutting edge level are being explained methodology of village touring and the ways to inspire confidence and trust in women folk in villages and especially in women belonging to weaker sections of the society. During village visits, interaction with the principals, teachers of the local schools/colleges is being done.

Narcotics Smuggling –

1. Inter-state Drug Secretariat has been established in Panchkula with member States as Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh, Rajasthan and Delhi.

2. Haryana State Narcotics Control Bureau has been set up with its headquarters in Madhuban, Karnal with a view to effective check any proliferation of drugs in the State. It will coordinate the efforts of all police units to ensure a crackdown on narcotics.

3. Anti Narcotics Cells have been set up in State Crime Branch Units to supplement the preventive and detective work done by the district police.
4. Special Campaigns are being launched at regular intervals to arrest narcotics smugglers and to seize these drugs. The seized drugs are destroyed after registration of FIRs and after following due procedure.

Crime against SC/STs –

1. Prompt registration of FIR is ensured on getting an information of a cognizable offence under SC/ST Act.
2. Expeditious investigation is conducted by a Gazetted Officer and case is finalized at the earliest.
3. Deputy Commissioner is intimated that compensation may be disbursed to the victim quickly.

****

अपराध को कम करने के लिये

157. **श्री वरुण चौधरी**, **विधायक**:क्या गृह मन्त्री सरकार द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट की दृष्टि में राज्य में अपराध दर को कम करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करेगें ?

गृह मन्त्री, **हरियाणा**

श्रीमान जी, वाछिंत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

वर्ष 2019 के लिए अंतिम अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2019 में कुल 1,66,336(भारतीय दण्ड सहिंता व स्थानीय एवं विशेष अधीनियमों के अन्तर्गत) अभियोग अंकित किये, जबकि वर्ष 2018 में कुल 1,91,229 अभियोग अंकित किये गये थे।

समाज के सभी वर्गों के विरुद्ध राज्य में अपराध दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी संख्या में ठोस कदम उठाए गऐ तथा उठाये जा रहे हैं । महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने पर बल दिया जा रहा है।

सामान्य अपराध –

1. अपराध दर को ओर कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी गई।
2. रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित आधार पर भर्ती की जा रही है।
3. डायल 112 परियोजना पूरे राज्य में स्थापित की जा रही है।
4. गश्त करने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि।
5. बेहतर संचार नेटवर्क का स्थापन ।
6. 24 घंटे पी.सी.आर पैट्रोलिंग और नाकाबंदी ड्यूटी।
7. राज्य की सीमाओं पर अंतर-राज्य नाकाबंदी।
8. पुलिस बल की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।
9. मासिक आधार पर नाइट डौमिनेशन किया जा रहा है।
10. भीड़ भरे स्थानों, बाजारों, बैंकों आदि पर गश्त सुनिश्चित करने बारे।
11. पैदल और वाहनों द्वारा संध्या और रात्री गश्त ।
12. अवैध हथियारों का खुलासा करने के लिए, नशीले पदार्थों के तस्करों, मोस्ट वांटेड अपराधियों, उदघोषित अपराधियों, जमानत से न लौटने वाले, पैरोल जंपर्स, ऐसे अपराधियों जिनकी गिरफतारीपर ईनाम घोषित किया गया है,को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
13. नियमित अंतराल पर अंतर-जिला और अंतर-राज्य स्तर पर नियमित अपराध गोष्ठी।
14. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कडी और प्रभावी निगरानी।
15. अपराध की रोकथाम में पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना।

महिला विरुद्ध अपराध -

1. राज्य के सभी जिलों में एक सामान्य पुलिस स्टेशन की पूर्ण शक्तियोंसहित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन पुलिस थानों में तैनात अधिकांश कर्मचारी महिला हैं। प्रत्येक महिला पुलिस स्टेशन को 02 हल्के वाहन (कार/जीप) और 02 स्कूटर प्रदान किये गये है ताकि महिलाओं को संकट में त्वरित प्रतिक्रिया मिल सके।
2. राज्य के सभी जिलों में चार अंकों वाली महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को सक्रिय किया गया है, विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों को इस हेल्पलाइन नंबर पर उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों सहित मध्य और वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हेल्पलाइन के कामकाज की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चितहो।
3. महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से तैनात महिला पीसीआर वाहनों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम और संकट में महिलाओं को त्वरित मदद देने के लिए तैनात किया गया है। ये पीसीआर उन स्थानों पर प्रतिबंधात्मक गश्त कर रहे हैं, जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संभावना है जैसे की कन्या संस्थान, बाजार स्थल और पूजा स्थल इत्यादि।
4. सभी उप-मण्डल मुख्यालयों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।
5. प्रत्येक महिला पुलिस थाने में महिलाओं और बच्चों के लिए जिला-स्तर पर विशेष कक्ष

स्थापित किया गया है। इस कक्ष का नेतृत्व महिला और बाल विकास विभाग के एक महिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। वह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला निषेध-सह-संरक्षण अधिकारी के रूप में और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के तहत संरक्षण अधिकारी के रूप मेंकार्यरत है।

6. राज्य के प्रत्येक जिले में विशेषकर परिवहन वाहनों में महिलाओं से छेडछाड (ईवटीजिंग) पर अंकुश लगाने के लिए एंटी-ईवटीजिंग स्टाफ बनाया गया है।
7. सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित परिचालन उपाय / कदम उठाए जाएं:-

(i)अति संवेदनशील मानचित्रण करना। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज, कमजोर वर्गों की

बस्तियाँ, झुग्गी-झोपड़ी आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर प्रभावी तरीके से गश्त करने की आवश्यक्ता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है।

(ii) आदतन यौन अपराधियों की पहचान करना और उन्हें रोकने के लिए सभी निवारक उपाय करना।

(iii) एकल कामकाजी महिलाएं, बच्चे और घरेलू नौकरानी जोकि उच्च जोखिम वाले समूह हैं को व उनके हितधारकों को खतरे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरुक्ता अभियान चलाये जायें।

(iv) खेल विभाग के सहयोग से इच्छुक लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन शिक्षण संस्थानों और पुलिस लाईनों में किया जाये।

(v) महिलाओं के विरुद्ध अपराधवाले क्षेत्रों में दिन और रात कीप्रभावीगश्तसुनिश्चित करना।

(vi) उपयुक्त स्थानों पर दिन और रात की नाकाबंदी का आयोजन किया जाये और शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें।

8. महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, ट्यूशन / कोचिंग सेंटरों, बाजारों आदि स्थानों के पास सिविल कपड़ों में तैनात किया जा रहा है, जो छेडछाड की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों को पकडने में प्रभावी हैं।

9. हरियाणा पुलिस अकादमी और राज्य के सभी भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का लिंग संवेदीकरण किया जा रहा है। साथ ही, मण्डल और जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए लघु पाठ्यक्रम / सेमिनार / कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

10. महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस के जवानों को ग्राम भ्रमण की कार्यप्रणाली और गांवों में महिलाओं और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं में आत्मविश्वास और विश्वास जगाने के तरीके बताए जा रहे हैं। गांव के दौरे के दौरान, प्रिंसिपल, स्थानीय स्कूलों / कॉलेजों के शिक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

नशीले पदार्थों की तस्करी –

1. पंचकूला में अंतर-राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के साथ मिलकर की गई है।

2. हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में नशीलें पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल मुख्यालय मधुबन, करनाल में की गई है। यह नशीले पदार्थों पर नकेल कसने के लिए सभी पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय करेगा।
3. जिला पुलिस के अतिरिक्त मादक पदार्थो पर नियंत्रण एवं गुप्त सुचनाए एकत्रित करने के लिए राज्य अपराध शाखा में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित किए गए हैं।
4. मादकपदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने और नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए नियमित अंतराल पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जब्त मादक पदार्थों को एफ.आई.आर के पंजीकरण के बाद और नियत प्रक्रिया के अन्तर्गतनष्ट कर दिया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विरुद्ध अपराध –

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफ.आई.आर. का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाता है।
2. एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा विवेचना शीघ्र की जाती है और मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाता है।
3. जिला उपायुक्त को सूचित किया जाता है जिससे कि पीड़ित को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके।

****